राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

एनबीए अकादमी के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं हरसिमरन

>> 14

वर्ष 3 अंक 147

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6 .00, नई दिल्ली, मंगलवार, 5 नवंबर 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 16

लोग मर रहे हैं और सरकारें नाकाम हैं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम टिप्पणी ▶ लोगों को मरने के लिए छोड़ देना सभ्य समाज की पहचान नहीं, प्रदूषण से घटी उम्र, यह जीवन के अधिकार का उल्लंघन

अब कहीं पराली जली तो सचिव से लेकर प्रधान तक होंगे जिम्मेदार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

लोगों की उम्र घट रही है, लोग मर रहे हैं और सरकारें नाकाम हैं। लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, यह जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। किसी सभ्य समाज में ऐसा नहीं होता। सोमवार को दिल्ली और एनसीआर में जानलेवा प्रदूषण के हाल पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह सख्त टिप्पणी की। इसी के साथ कोर्ट ने पराली और कूड़ा जलाने पर तत्काल रोक का आदेश देते हुए कहा कि ऐसी एक भी घटना को अदालत के आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। कोर्ट ने युद्ध स्तर पर प्रदूषण रोकने के उपाय लागू करने का आदेश देते हुए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को बुधवार को तलब किया है। इस बीच, प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने भी पंजाब और हरियाणा को पराली जलाने की घटनाओं को रोकने की हिदायत दी है। कचरा जलाने के मामलों पर रोक नहीं लगा पाने पर दिल्ली सरकार को भी पीएमओ ने फटकारा है।

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने वायु प्रदूषण रोकने में नाकाम रही केंद्र व राज्य की सरकारों तथा नगर निगमों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली घुट रही है। दिल्ली में लोग घरों में भी प्रदूषण से सुरक्षित नहीं हैं। घर के अंदर एक्यूआइ 500-600 से ऊपर पहुंच गया है। हर साल यही होता है। इसके लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार हैं। कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकारें व नगर निगम अपनी ड्यूटी में नाकाम हैं। एक अक्टूबर से तीन नवंबर तक की सेटेलाइट इमेज देखने से पता चलता है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर पराली जली है। विशेषतौर पर चार जिलों तरनतारन, संगरुर, पटियाला और फिरोजपुर में। हरियाणा में हालात इससे थोड़ा बेहतर रहे हैं। वैज्ञानिक आंकड़े बताते हैं कि प्रदूषण से लोगों की उम्र घट रही है। यह जीवन के अधिकार का खुला उल्लंघन है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वह दिल्ली न आएं। लोगों को काम करना है, दिल्ली खाली नहीं की जा सकती।

आप इसे एयर इमरजेंसी क्यों कहते हैं? यह इमरजेंसी से भी बुरा है। इमरजेंसी के दिनों के हालात इससे बेहतर थे।

– जस्टिस अरुण मिश्रा

ऑड-इवेन का उद्देश्य व फायदा बताएं

सुप्रीम कोर्ट ने ऑड-इवेन योजना पर दिल्ली सरकार से कहा है कि वह शुक्रवार तक रिपोर्ट दाखिल करे कि इस योजना का क्या उद्देश्य है और इससे क्या फायदा हुआ। सरकार पिछली बार की तुलना करते हुए रिपोर्ट दे। यह भी बताए कि ऑड-इवेन से लोग तिपहिया ऑटो और टैक्सी का प्रयोग बढ़ा देते हैं, ऐसे में ये वाहन ज्यादा संख्या में सड़क पर आ जाते हैं तो फिर योजना का उद्देश्य कैसे पूरा होता है। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा कि राजधानी में ऑटो और टैक्सी में ईंधन के तौर पर सीएनजी का इस्तेमाल होता है, जो स्वच्छ ईंधन है।

तय करनी होगी जिम्मेदारी

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार के उल्लंघन को देखते हुए जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने का समय आ गया है। किसी भी किसान को इस आधार पर पराली (फसल अवशेष) जलाने का अधिकार नहीं है कि उसके पास अगली फसल के लिए कम वक्त है। ऐसे किसानों से कोई सहानुभूति नहीं है, जो दूसरों की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। जहां पराली जलती है, उसके पड़ोसी राज्य भी प्रभावित होते हैं। ऐसे में स्टेट मशीनरी से ग्राम पंचायत स्तर तक सभी की जवाबदेही बनती है। यह दुष्कृति (टार्ट) का अपराध है, जो दंडनीय है।

अदालत के निर्देश

- आवश्यक वस्तुओं के अलावा कोई मालवाहक डीजल वाहन दिल्ली में न घुसे
- दिल्ली-एनसीआर में निर्माण और ढहाने पर एक लाख का जुर्माना। अधिकारी भी होंगे जिम्मेदार
- दिल्ली-एनसीआर में कूड़ा जलाने पर 5000 का जुर्माना। खुले में कूड़ा नहीं डाला जाएगा
- दिल्ली-एनसीआर में बिजली कटौती नहीं हो, ताकि जनरेटर का इस्तेमाल न करना पड़े। अगले आदेश तक जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक
- जाम से बचाने के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया जाएगा, सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा
- कोर्ट के फैसले का टीवी मीडिया, थाना, तालुका और तहसील स्तर पर व्यापक प्रचार हो
- दिल्ली व अन्य राज्य तीन हफ्ते में बताएं कि ऐसी स्थिति से बचने के कौन से उपाय किए जाएं

हालात थोड़ा सुधरे, राहत का इंतजार

नई दिल्ली-2नवंबर को दोपहर 1 बजकर 35 मिनट पर लिए गए चित्र में रायसीना हिल पर प्रदूषण के कारण लुप्त रहा राजपथ व इंडिया गेट का एक नजारा। ध्रुव कुमार

दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार हुआ है, लेकिन अब भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली में सोमवार को प्रदूषण के स्तर में रविवार की तुलना में कमी आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 416 दर्ज हुआ, जो रविवार को 494 था। अगले दो दिनों में दिल्ली में तेज हवा से हालात में और सुधार की उम्मीद है। हरियाणा और पंजाब में भी प्रदूषण में कमी आई है। (पेज-2, 5 भी देखें)

पराली जलने पर लगे पूरी रोक : कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्यों के मुख्य सचिव, डीएम, तहसीलदार, संबंधित थाना और पूरी पुलिस व प्रशासनिक मशीनरी सुनिश्चित करे कि उनके यहां पराली न जले। एक भी घटना हुई तो सब जिम्मेदार माने जाएंगे। पराली जलने से हो रहा प्रदूषण टार्ट के तहत अपराध है। ऐसे में पंजाब, हरियाणा और उप्र के मुख्य सचिव बताएंगे कि इसे रोकने में नाकाम रहने पर क्यों न राज्यों से हर्जाना वसूला जाए। कोर्ट ने कहा, सभी ग्राम प्रधान और थाने सूची तैयार करेंगे कि कहां-कहां किस-किस ने पराली जलाई। तीनों राज्य और दिल्ली सरकार स्थिति को काबू करने के लिए तत्काल कदम उठाए। दिल्ली सरकार और विभिन्न नगर निगम तत्काल प्रभाव से बिना देरी के कचरा प्रबंधन के इंतजाम करें। कोर्ट के आदेश पर पर्यावरण मंत्रालय की संयुक्त सचिव, ईपीसीए के अध्यक्ष भूरेलाल और आइआइटी के प्रोफेसर पीठ के समक्ष हाजिर हुए और उन्होंने प्रदूषण से निपटने के उपाय बताए।

सरोकार

पटियाला की संध्या की जिंदगी में नया सवेरा

पटियाला : ट्रक यूनियन के पास झोपड़-पट्टी में रहने वाले बच्चे आर्थिक तंगी के कारण भीख मांगने को मजबूर हैं। इस बस्ती में सवेरा लेकर आई है संध्या। सड़कों पर भीख मांगना छोड़ दसवीं तक पढ़ाई की अब इंजीनियर बनने की तैयारी कर रही है। (पेज-11)

जागरण विशेष

समझ लूं, फिर समझाऊंगा इस दोस्ती का फलसफा...

नई दिल्ली : 81 वर्षीय रतन टाटा और 27 वर्षीय शांतनु नायडु की जुगल जोड़ी सोशल मीडिया पर छा रही है। रतन टाटा के ऑफिस में उप महाप्रबंधक शांतनु उनके सबसे चहेते सहयोगी और सलाहकार हैं। कम दिलचस्प नहीं इनकी दोस्ती का किस्सा। (पेज-11)

सरकार नहीं बनी तो राष्ट्रपति शासन को भी तैयार भाजपा

नई दिल्ली : महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए संवैधानिक रूप से सिर्फ चार दिन का वक्त बाकी है लेकिन सियासी अनिश्चितता के चलते तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। भाजपा अब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दबाव में आने को तैयार नहीं है। भाजपा की ओर से साफ कर दिया गया है कि भाजपा शिवसेना की उचित मांगों को मानने के लिए तैयार है लेकिन शिवसेना को भी यह स्वीकार करना होगा कि बड़ी पार्टी भाजपा है। खासकर तब जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार की ओर से बार-बार बोला जा रहा है कि उन्हें तो विपक्ष में बैठने का जनमत मिला है। संकेत है कि अगले चार दिनों में स्थिति बदलेगी और राजग सरकार का गठन होगा वरना भाजपा राष्ट्रपति शासन के लिए भी तैयार है। (पेज-4)

आरसेप को भारत की ना

नहीं बनी बात ▶ भारत के बगैर आगे बढ़ेंगे 15 देश, समझौता अगले वर्ष

जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली

दुनिया के सबसे मजबूत ट्रेड ब्लॉक के तौर पर उभर रहे आरसेप में भारत ने शामिल होने से इन्कार कर दिया है। बैंकॉक में सोमवार को आरसेप वार्ता के लिए 16 देशों के शीर्ष नेताओं की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी ने दो-टूक कह दिया कि मौजूदा वैश्विक हालात व समझौते के प्रारूप में उसके हितों व मुद्दों को पूरा स्थान नहीं दिए जाने की वजह से भारत इसमें शामिल नहीं होगा। अब एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 15 बड़े देश आरसेप यानी रीजनल कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप नाम से गठित होने वाले मुक्त व्यापार समझौते को आगे बढ़ाएंगे।

बैठक में मोदी ने कहा, भारत आरसेप में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ना तो गांधी के सिद्धांत और ना ही मेरा जमीर इसमें शामिल होने की इजाजत दे रहे हैं। पीएम ने उन देशों को लताड़ भी लगाई जो भारत पर इस समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश में हैं। उन्होंने यह बताने में कोई गुरेज नहीं किया कि अब वे दिन नहीं है जब बड़ी शक्तियां भारत पर वैश्विक सौदेबाजी का दबाव बनाने में सफल हो जाती थीं। माना जा रहा है कि सस्ते आयात से अपने उद्योग धंधों को बचाने के प्रति समझौते में खास प्रावधान नहीं होने की वजह से ही भारत ने इससे बाहर रहने का फैसला किया है।

विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) विजय ठाकुर सिंह ने बताया कि पीएम ने स्पष्ट किया कि हम गांधी जी के इस सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई फैसला करना हो तो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति को होने वाले फायदे या नुकसान पर सोचना चाहिए। यह समझौता भारत के गरीब तबके पर विपरीत असर छोड़ सकता है।

आरसेप के शीर्ष नेताओं की तरफ से जारी बयान में कहा गया है भारत की तरफ से कुछ अहम मुद्दे हैं जिनका समाधान नहीं निकल पाया है। आरसेप के सदस्य इन मुद्दों को सुलझाने के लिए बात करेंगे ताकि सभी पक्षों की सहमति के मुताबिक आगे का रास्ता निकल सके। भारत की तरफ से तो इस तरह से बताया गया है कि आरसेप के लिए उसने अपने दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। सचिव (पूर्व) सिंह ने कुछ ऐसा ही इशारा किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया व थाइलैंड के नेताओं ने कहा, भारत के लिए इस समझौते में शामिल होने का रास्ता खुला रहेगा। बहरहाल, आरसेप के सदस्य शेष 15 देश अगले वर्ष इसे लागू करने से संबंधित समझौता करेंगे। (पेज-3 भी देखें)

बैंकाक में सोमवार को आरसेप के इतर ईस्ट एशिया समिट के दौरान मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद (बाएं) के पास से निकलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस मौके पर चीनी प्रधानमंत्री ली कछ्यांग भी मौजूद रहे। हाल ही में मलेशिया ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया था। एएफपी

उद्योग जगत ने की तारीफ

नई दिल्ली : आरसेप पर भारत सरकार द्वारा लिए गए फैसले की उद्योग जगत और किसान संगठनों ने जमकर तारीफ की है। दुग्ध उत्पाद कंपनी अमूल ने सरकार के इस निर्णय को मील का पत्थर बताया है। सीआइआइ और फिक्की ने कहा कि हम भारत सरकार के हर उस समझौते के साथ खड़े हैं, जिसमें द्विपक्षीय हितों को ध्यान में रखा गया है। (पेज-12)

प्रधानमंत्री बोले

- गांधीजी के सिद्धांत और मेरा जमीर आरसेप में शामिल होने की अनुमति नहीं दे रहे
- वो दिन गए जब वैश्विक समझौतों के लिए भारत पर रहता था बड़ी शक्तियों का दबाव

ये होंगे आरसेप में

चीन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड, विएतनाम, थाइलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ब्रुनेई, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर व कंबोडिया

यह होगा असर

- चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों को बड़ी चोट लगेगी, क्योंकि उनकी नजर भारत के विशाल घरेलू बाजार पर थी
- भारत की लुक-ईस्ट नीति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आसियान के 10 सदस्य आरसेप के चलते ही पिछले कुछ वर्षों से भारत के प्रति ज्यादा उदारता दिखा रहे थे

इसलिए बाहर रहने का फैसला

- आम भारतीयों के जीवन और उसके जीवनयापन के साधनों पर इस समझौते से पड़ने वाले असर को देखते हुए लिया गया
- आरसेप का मौजूदा मसौदा पत्र इसके मूलभूत सिद्धांतों के मुताबिक नही, भारत कुछ बुनियादी मुद्दों के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता
- कारोबारी घाटे में कटौती करना और भारतीय सेवाओं व निवेश के लिए समान मौका मिलना भारत की इन दोनों प्रमुख मांगों पर सदस्यों ने गंभीरता नहीं दिखाई

कश्मीर में ग्रेनेड हमले में एक की मौत, 38 घायल

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर : कश्मीर में सामान्य होते हालात से हताश आतंकियों ने सोमवार को श्रीनगर में खुली दुकानों को बंद कराने के लिए हरि सिंह हाईस्ट्रीट में ग्रेनेड हमला किया। इसमें खिलौने बेचने वाले एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं, सीमा सशस्त्र बल (एसएसबी) के तीन जवानों समेत 38 लोग जख्मी हो गए। घायलों में से चार की हालत गंभीर बनी हुई है।

दोपहर करीब 1:25 बजे लाल चौक से 200 मीटर की दूरी पर अमीराकदल पुल के पार हरि सिंह हाईस्ट्रीट में लोगों की भारी भीड़ थी। गनीखान बाजार में जाने वाले रास्ते के बाहरी छोर पर रेहड़ी वाले सामान बेच रहे थे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग खरीदारी में जुटे थे। भीड़ में ही मौजूद आतंकी ने एक बंद दुकान के शटर के पास खड़े एसएसबी जवानों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका, जो रेहड़ी वालों के पास गिरा और जोरदार धमाके के साथ फट गया। विस्फोट की आवाज सुन क आसपास मौजूद पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के जवान मौके पर पहुंचे और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सूत्रों ने बताया, 38 लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने एक घायल को मृत घोषित कर दिया। 10 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि 27 अस्पताल में भर्ती हैं।

सुरक्षाबलों ने शहर के कई क्षेत्र खंगाले पेज>>6

कर्मचारियों के लिए न्यूनतम नौ घंटे काम का प्रस्ताव

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- आपातकालीन स्थितियों में एक दिन में करना पड़ सकता है 16 घंटे तक काम
- वेतन संहिता कानून, 2019 के नियम बनाने को सरकार ने मांगे सुझाव

न्यूनतम वेतन प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कम से कम नौ घंटे काम करना पड़ सकता है। वेतन संहिता कानून के लिए बनाए जा रहे नियमों से पहले श्रम मंत्रालय की ओर से इस बाबत सुझाव मांगे गए हैं। एक माह बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा। फिलहाल केंद्र में कर्मियों के लिए सप्ताह में 42 घंटे का नियम है।

वेतन संहिता कानून अगस्त में संसद से पास हो चुका है। प्रस्तावित नियमों के अनुसार, वेतन संहिता, 2019 की धारा 13 (उपधारा 1, उपबंध ए) के तहत कर्मियों को न्यूनतम 9 घंटे काम करना होगा। आपात स्थितियों में एक दिन में 16 घंटे तक काम करना पड़ सकता है।

न्यूनतम वेतन का निर्धारण पत्नी, दो बच्चों वाले परिवार के पालन पोषण,प्रति व्यक्ति रोजाना 2700 कैलोरी वाले भोजन व 66 मीटर कपड़े की उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा। वेतन का 10 फीसद खर्च खाने-कपड़े, 20 फीसद ईंधन, बिजली, अन्य खर्चों, 25 फीसद बच्चों की पढ़ाई, इलाज, मनोरंजन तथा आपातकालीन मदों पर माना जाएगा। वेतन का निर्धारण महानगरीय, गैर-महानगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती के आधार पर होगा।

महंगाई भत्ते की गणना 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले : महंगाई भत्ते की गणना हर वर्ष 1 अप्रैल और 1 अक्टूबर से पहले की जाएगी। वेतन से किसी कटौती के बारे में कर्मचारी को पहले सूचित करना होगा। कटौती के बाद इंस्पेक्टर-सह-फैसिलिटेटर को 10 दिन के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। कर्मचारी को प्रदत्त अग्रिम धन की वसूली किस्तों में की जाएगी जो वेतन के पचास फीसद से ज्यादा नहीं होगी।

हफ्ते में एक दिन का साप्ताहिक अवकाश जरूरी : कर्मी को एक दिन का साप्ताहिक अवकाश देना जरूरी होगा। असामान्य स्थिति में दस दिन बाद ये अवकाश देय होगा। साप्ताहिक अवकाश का दिन रविवार के अतिरिक्त होने पर वेतन की गणना ओवरटाइम की दर से होगी।

111 कार्य उच्च कौशलयुक्त, 320 कौशलयुक्त : वेतन संहिता में 111 कार्यों को उच्च कौशलयुक्त, 320 को कौशलयुक्त में शुमार किया गया है। 127 कार्यों को अर्द्ध-कुशल, 123 को अकुशल कर्मियों लायक माना गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, किसी के लिए कोई निजता ही नहीं बची

- छत्तीसगढ़ में आइपीएस अधिकारी के फोन टेपिंग पर शीर्ष अदालत का सख्त रुख

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने एक वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता और उनके परिजनों के फोन टेप कराने की छत्तीसगढ़ सरकार की कार्रवाई को गंभीरता से लेते हुए सख्त टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, 'किसी के लिए भी निजता नहीं बची है।'

जस्टिस अरुण मिश्र और इंदिरा बनर्जी की पीठ ने कड़े लहजे में कहा, 'इस तरह से करने की क्या जरूरत है? किसी के लिए कोई निजता बची ही नहीं है। इस देश में आखिर क्या हो रहा है? क्या किसी व्यक्ति की निजता का इस तरह हनन किया जा सकता है? किसने और किस कारण से यह आदेश दिया? विस्तृत हलफनामा दाखिल कर जानकारी दी जाये।' शीर्ष अदालत ने आइपीएस अधिकारी के वकील के खिलाफ अलग से एफआइआर दर्ज जाने किए जाने पर भी नाराजगी जताई और जांच पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

पीठ ने मुकेश गुप्ता के अधिवक्ता महेश जेठमलानी से कहा, इस मामले में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का नाम घसीट कर इसे सियासी रंग नहीं दिया जाये। अदालत ने याचिका से बघेल का नाम हटाने को कहा।

गुप्ता 2015 में नागरिक आपूर्ति घोटाले की जांच के दौरान गैरकानूनी तरीके से फोन टेपिंग और भारतीय टेलीग्राफ कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोपित हैं। शीर्ष अदालत ने 25 अक्टूबर को राज्य सरकार को गुप्ता और उनके परिजनों के फोन सुनने या टेप करने से रोक दिया था और गुप्ता को उसके खिलाफ दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। हालांकि, अदालत ने गुप्ता के खिलाफ दर्ज दो प्राथमिकी रद करने से इन्कार कर दिया।

हाईकोर्ट में साबित नहीं हुआ था-किसने बनवाई थी मस्जिद

नई दिल्ली : जिस राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद पर सारे देश की निगाहें हैं, उसे किसने बनवाया था यह बात इलाहाबाद हाईकोर्ट में साफ नहीं हो पाई थी। मस्जिद का निर्माण बाबर ने कराया था या औरंगजेब ने यह साबित नहीं हुआ था। फैसला देने वाले हाईकोर्ट के तीन जज भी इस मुद्दे पर एक मत नहीं थे। (पेज-7)

मैक्डोनाल्ड्स के सीईओ ईस्टरबुक बर्खास्त

न्यूयॉर्क : अमेरिका की दिग्गज फास्ट फूड चेन मैक्डोनाल्ड्स ने एक कर्मचारी से शारीरिक संबंधों के आरोप में सीईओ स्टीव ईस्टरबुक को निकाल दिया है। कंपनी ने इसे अपनी नीतियों का उल्लंघन माना है। ईस्टरबुक का कहना है कि संबंध आपसी सहमति से बनाए गए थे। अब मैक्डोनाल्ड्स यूएसए के प्रेसिडेंट क्रिस केंपकिंस्की कंपनी के सीईओ होंगे। (पेज-12)

बदलाव

कल आइपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में लाया जा सकता है प्रस्ताव, बीसीसीआइ के अध्यक्ष गांगुली लेंगे अंतिम फैसला

पावरप्लेयर से बदल सकती है आइपीएल की सूरत

जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआइ) दुनिया की सबसे सफल क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग (आइपीएल) में बड़े बदलाव की योजना बना रहा है। बोर्ड बुधवार को मुंबई में होने वाली आइपीएल गवर्निंग कांउसिल की बैठक में लीग के अगले संस्करण में 'पावर प्लेयर' का नियम लाने का प्रस्ताव पेश कर सकता है, जिस पर बीसीसीआइ अध्यक्ष सौरव गांगुली अंतिम फैसला लेंगे। इस नियम के तहत टीमें मैच में कभी भी विकेट गिरने या ओवर खत्म होने के बाद एक खिलाड़ी को बदल सकती हैं।

पता चला है कि आइपीएल संचालन टीम के एक वरिष्ठ कार्यकारी ने कुछ माह पहले पारंपरिक अंतिम-11 के साथ कुछ करने के इरादे से एक नोट तैयार किया था। इस नोट के अनुसार, पावर प्लेयर की अवधारणा का उपयोग किया जा सकता है। यह अवधारणा अंतिम-11 का हिस्सा नहीं रहने वाले ऐसे खिलाड़ी को ओवर के बाद या विकेट गिरने के बाद आने वाले खिलाड़ी या गेंदबाज की जगह बदलने की स्वीकृति देती है।

प्रतीकात्मक फोटो

बीसीसीआइ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'इस पर अंतिम फैसला बीसीसीआइ अध्यक्ष करेंगे। वह आइपीएल चेयरमैन बृजेश पटेल और अन्य पदाधिकारियों से इस पर चर्चा करेंगे। इसे लेकर कई कारकों को ध्यान में रखे जाने की जरूरत है।' हालांकि, गांगुली के एक करीबी सूत्र ने कहा कि इस प्रस्ताव पर संदेह है क्योंकि यह क्रिकेट के मूल व्याकरण को बदल सकता है। अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। आइपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक में सदस्य इस प्रस्ताव के अलावा 2019 आइपीएल की समीक्षा करेंगे। साथ ही इस बात पर भी चर्चा होगी कि आगामी सत्र को और लोकप्रिय कैसे बनाया जाए।

ये है पावर प्लेयर का प्रस्ताव

- बीसीसीआइ के एक अधिकारी ने कहा कि हम ऐसी स्थिति पर विचार कर रहे हैं जहां टीमें अंतिम-11 की बजाय 15 खिलाड़ियों को डग आउट में बैठाएं
- इस प्रस्ताव की अहम बात यह है कि मैच के दौरान विकेट गिरने के बाद या ओवर खत्म होने के बाद कोई भी टीम प्रत्येक पारी में एक खिलाड़ी को बदलकर मैदान में उतार सकती है
- अधिकारी ने कहा कि सोचिए कि किसी टीम को छह गेंदों पर 20 रन चाहिए और आंद्रे रसेल अंतिम-11 में नहीं हैं लेकिन वह अंतिम-15 में हैं क्योंकि वह पूरी तरह से फिट नहीं थे। इस नियम से वह ऐसी स्थिति में मैदान पर आ सकते हैं और बड़ा शॉट लगाकर मैच बदल सकते हैं
- इसी तरह किसी टीम को आखिरी ओवर में अगर छह रन बचाने हैं और उसके पास जसप्रीत बुमराह जैसे खिलाड़ी डगआउट में बैठे हैं। ऐसे में कोई कप्तान क्या करेगा? वह बुमराह को 19वां ओवर खत्म होने के बाद लेकर आएगा और फिर आप जानते ही हैं। इस नियम में मैच को बदलने का दम है

देशभर में इंडिगो का सर्वर ठप, एयरपोर्ट पर लगी लंबी कतारें

नई दिल्ली, प्रेट्र: सोमवार सुबह विमानन कंपनी इंडिगो का सर्वर डाउन होने से बड़ी संख्या में हवाई यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसकी वजह से यात्रियों को बोर्डिंग पास नहीं दिए जा सके, जिसके चलते देश भर के एयरपोर्ट पर लंबी लाइनें देखने को मिलीं। कंपनी ने स्वयं देशभर में सर्वर ठप होने की जानकारी दी और लोगों से सहयोग की अपील की। बता दें कि देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो का घरेलू बाजार में 48.2 फीसद हिस्सा है।

दिन में करीब दो बजे कंपनी द्वारा जारी बयान में कहा गया, 'सोमवार सुबह एक घंटे से कम के लिए देशभर के एयरपोर्ट पर सर्वर डाउन की समस्या आई। यात्रियों को इससे होने वाली असुविधा के लिए हमें खेद है। फिलहाल हमारी सभी उड़ानें और चेक-इन सिस्टम ठीक तरह से काम कर रहे हैं।' इससे पहले 11.30 बजे के आसपास कंपनी ने कहा था कि सभी एयरपोर्ट पर सर्वर डाउन हैं। इसके चलते उड़ानें प्रभावित होने की आशंका है। गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश की जा रही है।

तेलंगाना में महिला तहसीलदार को दफ्तर में जिंदा जलाया

हैदराबाद, प्रेट्र: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के अब्दुल्लापुरमेट गांव में महिला तहसीलदार विजया रेड्डी (30) को दफ्तर के अंदर जिंदा जला दिया गया। सोमवार दोपहर बाद हुई इस घटना में महिला अधिकारी को बचाने में ड्राइवर समेत दो कर्मचारी झुलस गए। घटना को अंजाम देने वाला हमलावर भी 50-60 फीसद झुलस गया है। तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक हमलावर का भूमि विवाद से संबंधित मामला था, जिसे लेकर उसने तहसीलदार से संपर्क किया था, लेकिन निपटारा नहीं होने से वह खफा था।

संभागीय राजस्व अधिकारी अमरेंदर कुमार ने बताया कि स्थानीय युवक के. सुरेश ने इस घटना को सोमवार दोपहर बाद 1.30 बजे अंजाम दिया। घटना के समय महिला अधिकारी अपने चैंबर में अकेली थीं। मोटर साइकिल से कार्यालय आने के बाद हमलावर सीधे अधिकारी के कमरे में गया और उनके ऊपर पेट्रोल डालकर लाइटर से आग लगा दी।

तहसीलदार विजया रेड्डी की फाइल फोटो। प्रेट्र

- बचाने में दो कर्मचारी भी झुलसे, एक गंभीर, हमलावर भी बुरी तरह जला

रचाकोंडा के पुलिस कमिश्नर महेश एम भागवत ने बताया कि महिला अधिकारी के चिल्लाने पर उनका सहायक और ड्राइवर चैंबर की तरफ दौड़े, लेकिन तब तक लपटों में घिरी विजया चैंबर से बाहर आकर जमीन पर गिर पड़ीं। दोनों कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हमलावर घटना को अंजाम देकर कार्यालय से भागा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर गिर पड़ा। उन्होंने कहा, हमलावर ने इस घटना को क्यों अंजाम दिया इसका पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

चैंबर से सुनाई दी तेज आवाज पेज>>5